



कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक :- एफ 7/डी0टी0पी0/2024/1908

दिनांक :- 25/04/2024

निमित्त :

श्री चन्द्रप्रकाश पुत्र श्री नाथूलाल

निवासी :- बड़ा सोगरिया, कोटा (राज0)।

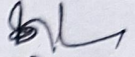
विषय :- ले-आउट प्लान (PRAKASH ENCLAVE आवासीय योजना) खसरा नम्बर 669/630 ग्राम सोगरिया क्षेत्रफल 11400 वर्गमीटर के ले-आउट प्लान अनुमोदन के सम्बन्ध में

राज्य सरकार कि अधिसूचना क्रमांक एफ 3(77)न.वि.वि./3/2010 दिनांक 28.06.10 द्वारा जारी निजी क्षेत्र में आवासीय, ग्रुप हाउसिंग व अन्य योजनाओं हेतु नीति 2010 (10 हैक्टेयर से कम) के अन्तर्गत आपके आवेदन के क्रम में ले-आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 05/03/2024 में लिये गए निर्णयानुसार ले-आउट प्लान स्वीकृति उपरांत योजना विकसित किये जाने हेतु निम्न शर्तों के साथ जारी किया जा रहा है -

- (1) अनुमोदित योजना प्लान में उल्लेखित समस्त शर्तों की पालना सुनिश्चित की जानी है।
- (2) नियमानुसार कृषि भूमि रुपान्तरण राशि न्यास कार्यालय में जमा करवानी होगी।
- (3) पॉलिसी में उल्लेखित शर्तों के अनुसार भूखण्डों की बुकिंग, पट्टा/लीज डीड आदि की कार्यवाही की जावेगी।
- (4) योजना में विकास कार्य उक्त तिथि से 6 माह में प्रारम्भ व 18 माह में पूर्ण करना होगा। विकास कार्य पॉलिसी में निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप न्यास के संबंधित अधिशाषी अभियंता की देखरेख में कराना होगा, निर्धारित समयावधि में मानदण्डों के अनुसार योजना के सभी आवश्यक कार्य पूर्ण कर अधिवास प्रमाण-पत्र लिया जावेगा, तथा विकास कार्य पूर्ण होने के उपरांत 3 वर्ष तक रख-रखाव करना होगा। यदि योजना में विकास कार्य निर्धारित मापदण्डों के अनुसार नहीं पाये जाते हैं, तो अधिवास प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जावेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
- (5) भूखण्डों पर निर्माण न्यास से नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त कर करवाना होगा।
- (6) स्वीकृत प्लान अनुसार ही विकास कार्य किये जावेंगे योजना में किसी प्रकार का संशोधन न्यास की पूर्व अनुमति के नहीं किया जा सकेगा।
- (7) रैनवाहटर हारवेस्टिंग के लिये व्यवस्था करना अनिवार्य होगी। विकसित की जाने वाली योजना में मास्टर प्लान/सेक्टर प्लान के अनुसार सड़कें, सीवर लाईन, नाले ओवरहेड, केबल्स आदि के लिये सम्बन्धित संस्था को 'राईट आफ वे' दिया जावेगा।
- (8) स्वीकृत ले-आउट प्लान की प्रति जानकारी हेतु योजना स्थल पर बोर्ड पर लगाई जावें, जिसमें न्यास में रहन रखे गये भूखण्डों को स्पष्ट रूप से दर्शाया जावें।
- (9) ले-आउट में सड़कों का लेवल इस प्रकार हो कि ड्रेनेज की व्यवस्था मुख्य सड़कों पर स्थित ड्रेन में सुचारु रूप से हो सके।
- (10) आंतरिक विकास कार्य के पेटे 12.5 % विक्रय योग्य भूखण्ड (भूखण्ड सं0 56 से 65 कुल भूखण्ड 10 क्षेत्रफल 10000 वर्गफीट) आरक्षित किये जाते हैं, जिनकी बुकिंग न्यास द्वारा भूखण्ड रहनमुक्त करने के उपरांत ही की जा सकेगी। उक्त भूखण्ड नगर विकास न्यास में रहन है एवं उक्त भूखण्डों को किसी को भी बैचान नहीं करें। यदि बैचान किया जाना पाया जाता है तो स्वीकृति किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी। उपरोक्तानुसार 12.5 प्रतिशत आरक्षित भूखण्डों को रहन रखे जाने हेतु मॉर्गेज डीड संपादित करवायें।
- (11) आवेदक को योजना के आंतरिक विकास बाबत टाउनशिप पॉलिसी-2010 के अनुसार तकमीने प्रस्तुत करने होंगे एवं तकमीनों का न्यास की अभियांत्रिकी शाखा से अनुमोदन उपरांत तदनुसार विकास कार्य करने होंगे।
- (12) समय-समय पर राज्य सरकार एवं न्यास द्वारा नियमों/शर्तों की पालना करनी होगी।

- (13) टउनशिप पॉलिसी-2010 में उल्लेखित समस्त शर्तों की पालना करनी होगी।
(14) उक्त ले-आउट का RERA में पंजीयन करवाया जावे।
(15) उपरोक्तानुसार शर्तों की पालना नहीं होने पर स्वीकृति निरस्त मानी जावेगी।

संलग्न :- स्वीकृत ले-आउट प्लान



सचिव

नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक :- एफ 7/डी0टी0पी0/2024/

दिनांक :- /04/2024

प्रतिलिपि :-

- 1- उप सचिव (.....), नगर विकास न्यास, कोटा। को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्तानुसार 12.5 प्रतिशत आरक्षित भूखण्डों को रहन रखे जाने हेतु मॉर्गेज डीड संपादित करवायें। उक्त भूखण्ड आंतरिक विकास कार्य पूर्ण होने के उपरांत मुक्त किये जा सकेंगे।
- 2- अधिशाषी अभियंता (.....) को प्रेषित कर लेख है कि योजना का समय-समय पर मौका निरीक्षण करें एवम् समय-समय पर विकास कार्य की जांच कर निर्धारित मानदण्ड अनुसार सुनिश्चितता कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास, कोटा

ले-आउट प्लान (PRAKASH ENCLAVE आवासीय योजना) खसरा नम्बर
669/630 सोन सोगरीया रोडवर्क 11400 वर्गमीटर (Mark-A to D)
ले-आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 05/03/2024 में हिये गए
निर्णयानुसार निम्न हर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किया जाता है -

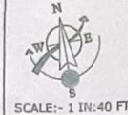
Residential	I.C. Shop	Park/SW/MT	Road
71071 वर्गफीट 57.94 प्रतिशत	700 वर्गफीट 0.57 प्रतिशत	6816 वर्गफीट 5.56 प्रतिशत	44077 वर्गफीट 35.93 प्रतिशत

- (1) पट्टे सड़क का नगरीयकरण न्यूनतम 40 फीट अथवा हाइस रिकॉर्ड में अधिक होने की स्थिति में, जो भी अधिक हो, रखा जाये।
- (2) टक्करशिप पोलिसी-2010 एनन समय-समय पर जारी संशोधनों की पालना सुनिश्चित की जाये।
- (3) योजना में न्यूनतम 5 प्रतिशत पार्क एवं वीथी रखा जाये।
- (4) आयेदक को योजना के आंतरिक विकास बाढ़ टक्करशिप पोलिसी-2010 के अनुसार तकनीकी प्रस्तुत करने होंगे एवं तकनीकी का न्याय की अभिव्यक्ति हाइला से अनुमोदन उपरांत तदनुसार विकास कार्य करते होंगे।
- (5) नगरीय विकास विभाग के एच ड्रॉन्क प.3(77) नॉटिफिकेशन/2009 पार्ट IV जम्बूट दिनांक 4/4/19 की पालना अपेक्षित है।
- (6) नगरीय विकास विभाग के गैरिप दिनांक 10/08/2020 के अनुसार प्राणव रखे जाने होंगे।
- (7) उक्त ले-आउट का RERA में पंजीयन कराया जाये।

Prakash
वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्याय, कोटा

PRAKASH ENCLAVE

PROPOSED LAYOUT PLAN FOR
RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME
ON SOGARIYA- CHANDRSAL
ROAD IN KHASRA NO.-669/630
VILLAGE:- SOGARIYA TEH.
LADPURA, DIST.- KOTA (RAJ.)



SCALE:- 1 IN=40 FT.

S.NO.	KH.NO.	AREA IN HACT.	
		IN RECORD	IN SCHEME
01	669/630	1.14	1.14
		TOTAL	1.14 HT.

11,400 SQ.MT./ 1,22,664 SQ.FT.

AREA STATEMENT

TOTAL AREA- 1,22,664 SQ.FT.		
RESIDENTIAL AREA	71071.00 SQ.FT.	57.94 %
I.C. SHOP	700.00 SQ.FT.	0.57 %
PARK/SW/MT.	6816.00 SQ.FT.	5.56 %
ROAD AREA	44077.00 SQ.FT.	35.93 %
TOTAL AREA	1,22,664 SQ.FT.	100 %

OFFICE USE ONLY

KHASRA BOUNDARY
SHOWN THUS

खसरा सीमांकन → सहायक सीमांकन प्रकाश
एनमर्सेव ४ बरामा खोसरीभा
डा. खसरा नं. 669/630 की बाह्य सीमांकन
का मातृ गै. २५०००० सपस्व समशे ने
पुनः खसरा सीमांकन 'A B C D' किया गया।

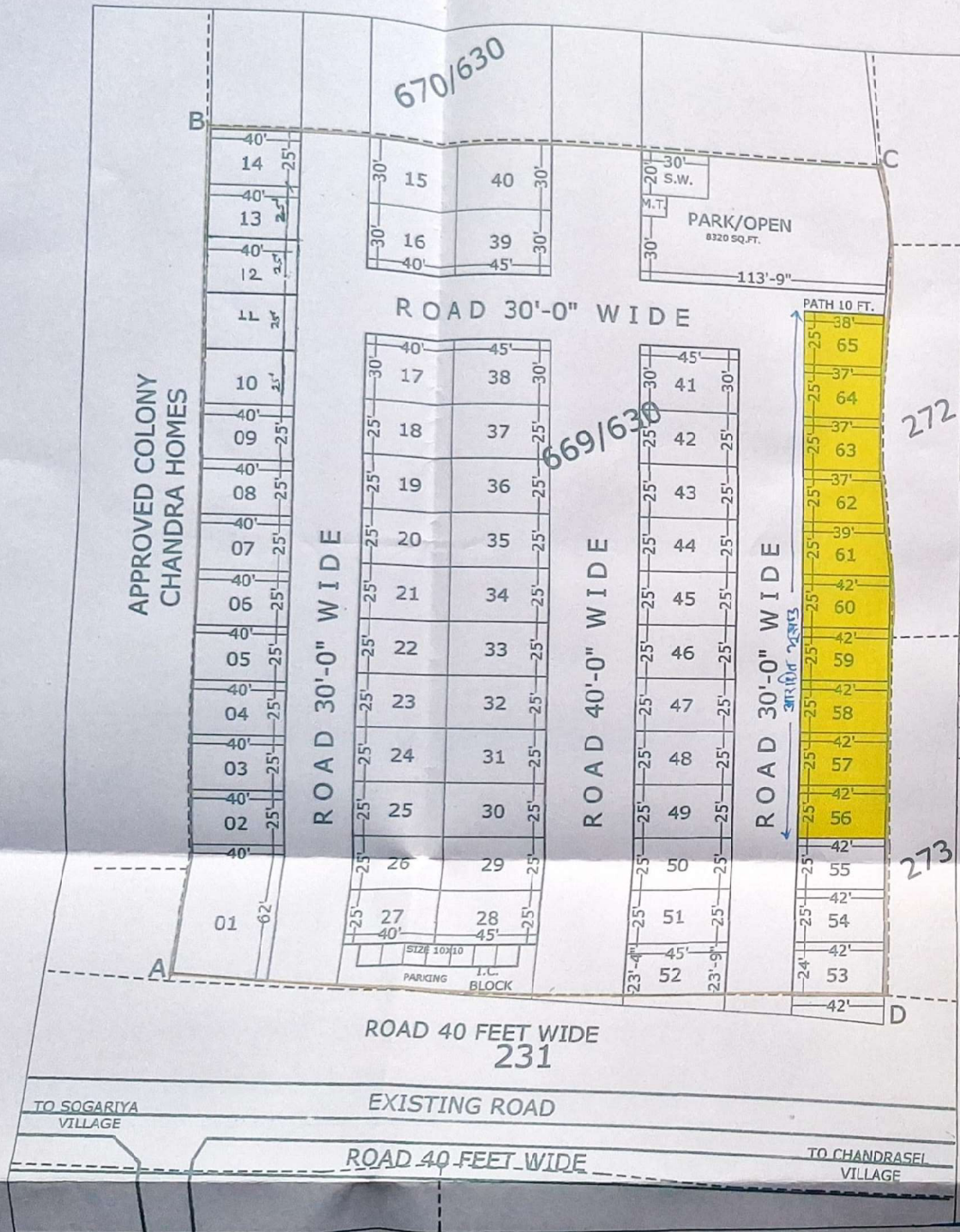


SIGNATURE
OWNER/ PRESIDENT/ SEC.
NAME/ ADDRESS

P. Nagre

नोट :-
योजना के आंतरिक विकास के पेटे
विवेकानुसार 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल में
भूखण्ड सं 56 से 65 कुल भूखण्ड
10 क्षेत्रफल 10000 वर्गफीट आश्रित
किये जाते हैं, बिना पीएन सं से दर्शाया
नया है। 12.5 प्रतिशत आश्रित भूखण्ड को
रख रखे जाने हेतु नॉटिफिकेशन सं 10/08/2020
कराया। उक्त भूखण्ड आंतरिक विकास कार्य
पूर्ण होने के उपरांत विवेकानुसार भुक्त किये
जा सकते हैं।

Prakash
वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्याय, कोटा



J.P.